सार-समाचार

उमराह यात्रियों के लिए ट्रेनिंग कैंप आयोजित

छबड़ा (निसं)। कस्बे में मॉर्डन उमराह ग्रुप द्वारा आगामी 22 अगस्त को छबडा से मक्का और मदीना के पवित्र उमराह यात्रा पर जाने वाले उमराह यात्रियों के लिए एक विशेष ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप का उद्देश्य उमराह यात्रा पर जाने वाले लोगों को इस पवित्र यात्रा से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी और दिशा-निर्देश प्रदान करना है, ताकि वे अपनी यात्रा को सुगम और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बना सकें। ग्रुप के प्रतिनिधि और एडवोकेट हस्सान खान ने बताया कि 22 अगस्त को छबड़ा से मक्का और मदीना के लिए उमराह यात्रियों का एक जत्था रवाना होने वाला है। इस यात्रा को और अधिक व्यवस्थित और जानकारीपूर्ण बनाने के लिए रविवार को एक विशेष एकदिवसीय ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में उमराह की प्रक्रिया, नियम, और आध्यात्मिक महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। कैंप में शहर क़ाज़ी मौलाना इज़हार हुसैन क़ासमी, मौलाना आरिफ नदवी, हाजी डॉ. रहीम खान, हाफिज आसिफ और हाजी पयाम खान शामिल थे।

गर्भवतियों का स्वास्थ्य जांचा

कोटा, (निसं)। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिसव अभियान में सोमवार को जिले के 82 चिकित्सा संस्थानों पर गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच की गई और परामर्श दिया। सीएमएचओ डॉ.नरेन्द्र नागर ने बताया कि अभियान में 1200 गर्भवतियों का बीपी और 1181 का तापमान नोट किया। 1142 गर्भवतियों के खून की जांच हुई। 772 गर्भवतियों को आईएफए की गोलियां और 66 को आईवी आयरन सुक्रोज दिया गया। साथ ही गर्भवतियों की विभिन्न जांचे, यूरीन टेस्ट, हीमोग्लोबिन, बीपी, शुगर, वजन, उंचाई आदि जांचा गया। 42 गर्भवतियों की सोनाग्राफी जांच की गई। कुछ गर्भवतियों में जटिलता हाई रिस्क पाई गई। अधीकृत निजी केंद्रों पर नि:शुल्क सोनोग्राफी के लिए कई गर्भवतियों को मां वाउचर योजना के कूपन भी जारी किए गए। अभियान में गर्भवतियों को प्रसव की तैयारी एवं परिवार नियोजन की जानकारी भी दी गई। गर्भवतियों को शिशुओं के स्तनपान, पोषण व टीकाकरण के बारे में भी बताया गया। पौष्टिक आयरनयुक्त आहार, मिलेट्स लेने की सलाह दी गई। गर्भवतियों का टीकाकरण भी हुआ। विभाग के अधिकारियों ने अभियान की मॉनिटरिंग की।

कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मनाया

कोटा, (निसं)। मोदी पब्लिक स्कूल में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बहुत हर्षउल्लासपूर्वक मनाया गया। इस उत्सव के मुख्य अतिथि माँगीलाल यादव सर्किल निरीक्षक, दादाबाड़ी और मोदी एजुकेशन ग्रुप के अध्यक्ष सुशील मोदी और ग्रुप निदेशक राधव मोदी रहे। सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा बाल-कृष्ण की छप्पन भोग की झांकी और श्याम बाबा के दरबार में दीप प्रज्जवलित करके पूजन अर्चन किया। तत्पश्चात् अतिथियों का स्वागत प्राचार्या डॉ. नलिनी कुलश्रेष्ठ द्वारा माला पहनाकर किया गया। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं उनकी भक्ति पर आधारित कई मुख्य घटनाओं और प्रंसगों जिनमें कृष्ण के बाल सखा उद्धवजी को गोपियों द्वारा कृष्ण के प्रति अपनी प्रेमा भक्ति की श्रेष्ठता को बताना पर नृत्य नाटिका, कालिया नाग का मर्दन, गौवर्धन पर्वत को उठाकर इन्द्र का अंहकार ध्वस्त करना और उनका महारास रचाना, कृष्ण सुदामा की मित्रता और माखन चुराना यशोदा माता की ममता भरी झिड़की आदि के ऊपर सामूहिक नृत्य नाटिकाओं से पूरा वातावरण भक्तिमय करके सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।

वाहनों में तोड़फोड़ के आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। देवली मांझी पुलिस टीम ने रात्रि के समय वाहनों में तोड़-फोड़ करने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने मामले में कार्यवाही करते हुए घटना में प्रयुक्त कार को भी जब्त किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि 14 अगस्त को देवली मांझी थाना इलाके के हरिपुर मांजी में देर रात्रि को अज्ञात बदमाशों ने घर के बाहर खड़े वाहनों में तोड़-फोड़ की और घर में घुसकर भी तोड़-फोड़ की। फरियादी ने इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। ग्रामीण एसपी ने बताया कि मामला सामने आने के बाद देवली मांझी थाने के उपनिरीक्षक थानाधिकारी सुरेश मीणा के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने मामले में तकनीकी सहायता से कार्यवाही करते हुए चार आरोपी रेलगांव निवासी राजकुमार उर्फ राजु (35), पंकज मालव (21), विजेश मालव उर्फ टिल्लू (23) एवं हरिपुर मांजी निवासी रजनेश मालव उर्फ रवि (30) को गिरफ्तार किया, साथ ही टीम ने घटना में प्रयुक्त कार को भी जब्त किया है। पकड़े गये आरोपियों से अनुसंधान जारी है।

दोषी को तीन साल की सजा सुनाई

कोटा, (निसं)। मंदबुद्धि से छेड़छाड़ व अशलील हरकत करने के करीब आठ महीने पुराने मामले में महिला उत्पीड़न क्रम-2 न्यायालय ने सुनवाई करते हुए पकड़े गये आरोपी को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की सजा से दंडित किया। अपर लोक अभियोजक रामेत कुमार सैनी ने बताया कि ग्रामीण के एक थाने में मंदबुद्धि पीड़िता की छोटी बहन ने थाने में शिकायत दी। शिकायत में कहा कि उसकी बड़ी बहन जो दिमाग से कमजोर है, जिसको उसकी दादी ने अलग कमरे में रख रखा है। 1 दिसम्बर 2024 को जब वह बहन को खाना देने कमरे में गई तो कमरे में गांव का व्यक्ति राजू बंजारा उसकी बहन के साथ अश्लील हरकत कर रहा था। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्यवाही करते हुए आरोपी राजू बंजारा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामले में अनुसंधान करते हुए आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। मामले में 7 गवाहों के बयान दर्ज कराये गये।

पूर्व मंत्री के समर्थन में उतरे कांग्रेसी

छबड़ा (निसं)। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार द्वारा पूर्व मंत्री भरतसिंह की पत्नी के विरुद्ध की गई कार्यवाही की निंदा करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष एडवोकेट अरविंद प्रतापसिंह ने बताया कि पूर्व मंत्री भरतसिंह कुंदनपुर की पत्नी पर सरपंच रहने के दौरान आबादी भूमि पर पट्टे देने के मामले में वर्तमान सरकार द्वारा द्वेषतापूर्वक एसीबी में मुकदमा दर्ज करवाया है, जो निंदनीय है। यह सिंह की छवि को खराब करने का प्रयास है। बैठक में एडवोकेट चिरंजीवलाल भार्गव, दिग्विजय सिंह, राजेश भार्गव, देवेंद्र मेहता, दिनेश चौरसिया, गोविंद सोनी, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष अबरार अहमद, पूर्व पालिकाध्यक्ष हरीश माहेश्वरी, बुलंद इकबाल, संतोष गालव, पूर्व पार्षद नवाब उमर मियां, हस्सान खान, शाकिर खान आदि मौजूद थे।

रामलीला 22 से शुरू होगी

छबड़ा (निसं)। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शारदीय नवरात्र में नवयुवक रामलीला मण्डल द्वारा नदी मोहल्ला में 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रामलीला मंचन का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए आयोजित हुई बैठक में पात्रों पर चर्चा कर विचार विमर्श किया गया। यहां चंद्रप्रकाश शर्मा, अभिषेक भार्गव, सोहन सुमन, एडवोकेट हेमराज राठौर, जगदीश सेठी, नवीन उपाध्याय, मनोज राठौर, मुरली भार्गव, नवल शर्मा, विनोद केलवा, मनोज सेन, महावीर सुमन, किशन गौड़, संदीप सोलंकी, रोहित नागर, कन्हैया राठौर आदि मौजूद थे।

आवारा पशुओं के विचरण से हो रही सडक दुर्घटनाओं को लेकर प्रसाशन सख्त

छबड़ा (निसं)। छबड़ा एवं ग्रामीण इलाकों में मुख्य सड़को पर आवारा पशुओं के विचरण से सडक दुर्घटनाएं होने, पशुओं के चोट लगने तथा ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओ के समाधान के लिए उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में मंगलवार को सांय पांच बजे नगरपालिका के सभागार में बैठक आयोजित की जाएगी। जिसमें शहर की मुख्य सडकों, गलियों, चौराहों व आम रास्तों पर आवारा पशुओं के विचरण के संबंध में आवश्यक प्रबंधन व पालिका क्षेत्र में मुख्य सड़क, मुख्य चौराहों, अस्पताल के सामने हो रहे अस्थायी अतिक्रमण हटाने सहित अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी।

उत्तर निगम में दो अवकाश घोषित किए

कोटा, (निसं)। नगर निगम कोटा उत्तर की महापौर मंजू मेहरा द्वारा राजस्थान नगर पालिका (आब्जरवेन्स ऑफ होलीडेज एण्ड रेग्यूलेटिंग आवर्स ऑफ वर्क्स) रूल्स 1961 के नियम 4 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 27.08.2025 बुधवार को श्री गणेश चतुर्थी एवं दिनांक 24.10.2025 शुक्रवार को भाई दोज (दिपावली) के त्यौहार का अवकाश घोषित किया गया है। अत: दिनांक 27.08.2025 बुधवार को एवं दिनांक 24.10.2025 शुक्रवार को नगर निगम कोटा उत्तर का कार्यालय बंद रहेगा।

'फ्लैगशिप योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग कर गति लाएं'

कोटा, (निसं)। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं एवं विभागीय योजनाओं की प्रगति तथा अंतर-विभागीय कॉर्डिनेशन के संबंध में सोमवार को समीक्षा बैठक आयोजन जिला कलक्टर पीयूष समारिया की अध्यक्षता में किया गया। जिला कलक्टर ने विभिन्न विभागों से संबंधित फ्लैगशिप तथा विभागीय योजनाओं की समीक्षा की और उनमें गति लाने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना, कर्मभूमि से मातृ-भूमि अभियान, मुख्यमंत्री जल स्वालंबन अभियान, अटल प्रगति पथ, पीएम विश्वकर्मा योजना, सीएम स्वनिधि योजना, जल जीवन मिशन, अटल ज्ञान केन्द्र, हरियालों राजस्थान सहित अन्य फ्लेगशिप एवं प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जिन योजनाओं में कम प्रगति पाई गई उनमें प्रगति बढ़ाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए।

मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान में सभी स्कूलों में डिजिटल उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अटल ज्ञान केन्द्रों में प्रेरक नियुक्ति की कार्यवाही शीघ्र करने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन अमृत योजना एवं सिंचाई संबंधी योजनाओं को शीघ्र पूरा कर लक्षित वर्ग को लाभान्वित करने के निर्देश दिए।

कोटा जिला कलेक्टर ने समीक्षा बैठक में आवश्यक निर्देश दिये हैं।

एमपी-एमएलए लेड अंतर्गत प्रगतिरत एवं प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा करते हुए जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि इन कार्यों को गंभीरता से लेते हुए नियमित मॉनिटरिंग के साथ समय पर पूरा किया जाऐं, अन्यथा नियमानुसार पैनल्टी की कार्यवाही की जाएगी।

हरियालो राजस्थान में विभागवार आवंटित लक्ष्यों और उपलब्धि की समीक्षा कर लक्ष्य शीघ्र प्राप्त करने के निर्देश दिए। संपर्क पोर्टल पर परिवेदनाओं के निस्तारण की समीक्षा करते हुए जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि अधिकारी स्वयं प्रकरणों का अध्ययन कर उनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें।

साथ ही, संतुष्टि स्तर का भी विशेष ध्यान रखें। उन्होंने विभागवार एवं अधिकारीवार लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर इनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।

एडीएम सीलिंग कृष्णा शुक्ला ने निर्देश दिए कि सीडीईओ पीईओ से समन्वय कर आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थिति के संबंध में फेक्चुअल रिपोर्ट शीघ्र दें।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि लाडो प्रोत्साहन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी अस्पतालों में लाडो सेल स्थापित कर नोडल ऑफिसर नियुक्त किए जाएं।

प्रति साप्ताहिक बैठक में इनकी प्रगति से अवगत कराया जाए। बैठक अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन मुकेश चौधरी, शहर अनिल सिंघल, नगर निगम आयुक्त अनुराग भार्गव एवं अशोक त्यागी, केडीए सचिव कुशल कोठारी सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

भैंसरोड़गढ़ में वन्यजीव अपराध पर राष्ट्रीय कार्यशाला सम्पन्न

कोटा, (निसं)। मुकुंदरा हिल्स टाईगर रिजर्व के भैंसरोड़गढ़ में वन्यजीव अपराध पर केंद्रित तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का पगमार्क फाउंडेशन और शेर संस्था द्वारा सफल आयोजन किया गया। यह कार्यशाला राजस्थान में इस विषय पर आयोजित होने वाली पहली राष्ट्रीय कार्यशाला रही, जिसमें देशभर से आए वन्यजीव विशेषज्ञों, अधिकारियों, शोधकर्ताओं और विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

शेर संस्था के कृष्णेन्द्र नामा ने बताया कि कार्यशाला में वन्यजीव अपराध की वर्तमान चुनौतियों, अवैध शिकार व तस्करी की रोकथाम, आधुनिक तकनीकों के उपयोग और कानूनी प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा हुई। साक्ष्य संग्रहण और संरक्षण की फोरेंसिक रूप से सुदृढ़ प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण दिया गया।

पगमार्क फाउंडेशन के अध्यक्ष देवव्रत सिंह हाड़ा ने कहा कि भारत का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 हमारे देश में जैव-विविधता को बचाने की सबसे महत्वपूर्ण कानूनी ढाल है। इस अधिनियम के तहत बाघ, शेर, हाथी, गैंडा और तेंदुआ जैसी कई संकटग्रस्त प्रजातियों को उच्चतम स्तर की कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है।

हाल ही में इसमें संशोधन कर दंड और दायित्व और कठोर किए गए हैं, ताकि वन्यजीव अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई हो सके। वन्यजीव अपराध रोकने के लिए केवल कानून ही नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक (जैसे ड्रोन सर्विलांस, कैमरा ट्रैप, क्छ। फॉरेंसिक) और स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी भी ज़रूरी है।

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक-456 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 7.8.25

आवास संख्या 2-एफ-20 जवाहर नगर, बून्दी, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री विजय कुमार वीरानी पुत्र श्री गोपाल दास को किया गया था। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री विजय कुमार वीरानी पुत्र श्री गोपाल दास की मृत्यु दिनांक 17.12.2024 को एवं इनकी पत्नी श्रीमती प्रिया की मृत्यु दिनांक 15.07.2023 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों में श्रीमती गरिमा शर्मा पुत्री स्व. श्री विजय कुमार वीरानी पत्नी श्री अक्षयकिरण शर्मा एवं श्रीमती महक कपिल हसवानी पुत्री स्व. श्री विजय कुमार वीरानी पत्नी श्री कपिल हसवानी द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 2-एफ-20 जवाहर नगर, बून्दी को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं घोषणा पत्र के आधार पर करने हेतु संयुक्त रूप से आवेदन किया गया।

अत: उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र एवं घोषणा पत्र के आधार पर श्रीमती गरिमा शर्मा पुत्री स्व. श्री विजय कुमार वीरानी पत्नी श्री अक्षयकिरण शर्मा एवं श्रीमती महक कपिल हसवानी पुत्री स्व. श्री विजय कुमार वीरानी पत्नी श्री कपिल हसवानी के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्रीमती गरिमा शर्मा पुत्री स्व. श्री विजय कुमार वीरानी पत्नी श्री अक्षयकिरण शर्मा एवं श्रीमती महक कपिल हसवानी पुत्री स्व. श्री विजय कुमार वीरानी पत्नी श्री कपिल हसवानी के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्रीमती गरिमा शर्मा पुत्री स्व. श्री विजय कुमार वीरानी पत्नी श्री अक्षयकिरण शर्मा एवं श्रीमती महक कपिल हसवानी पुत्री स्व. श्री विजय कुमार वीरानी पत्नी श्री कपिल हसवानी के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

गांजा तस्करी के दो दोषियों को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई

कोटा, (निसं)। अवैध मादक पदार्थ गांजा तस्करी के साढ़े छह साल पुराने मामले में विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस के न्यायाधीश ने मामले में सुनावाई करते हुए पकड़े गये दो आरोपियों को दोषी मानते हुए पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।

विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि 27 दिसम्बर 2018 को थानाधिकारी थाना बपावरकलां कोटा ग्रामीण ने मेगा हाईवे कस्बा बपावरकलां से नाकाबंदी की। इस दौरान बारां की तरफ से आ रहे दो मोटरसाईकिल सवार पुलिस टीम को देखकर मोटरसाईकिल को घुमाने का प्रयास करने लगे तो इस दौरान मोटरसाईकिल पेड़ से टकरा गई और दोनों व्यक्ति मोटरसाइकिल से गिर गये। पुलिस टीम ने संदेह होने पर मोटरसाईकिल सवार दोनो व्यक्ति को मौके पर डिटेन कर उनके पास मौजूद सामान की तलाशी ली तो, तलाशी के दौरान उनके पास से अवैध मादक पदार्थ 10 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। थानाधिकारी ने मौके पर एनडीपीएस एक्ट में कार्यवाही करते हुए झालावाड़ निवासी रघुराज और ताहिर को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने मामले में अनुसंधान करते हुए आरोपी रघुराज, ताहिर और रशीद के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले में 14 गवाहों के बयान दर्ज कराये गये एवं 43 दस्तावेज पेश किये गये।

न्यायालय ने मामले में निर्णय देते हुए दोनों अभियुक्तों ताहिर और रघुराज सिंह को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई, वही सह-अभियुक्त रशीद को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया।

विवाहिता से मारपीट के दोषियों को सजा सुनाई

कोटा, (निसं)। विवाहिता से मारपीट के करीब चार साल पुराने मामले में पोक्सो क्रम-4 न्यायालय ने सुनवाई करते हुए पकड़े गये आरोपी ससुर, पति व दो देवर को दोषी मानते हुए 3-3 साल की सजा से दंडित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक वन्दना नागर ने बताया कि पीड़िता ने 6 जून 2021 में ग्रामीण के एक थाने में शिकायत दी थी। पीड़िता ने शिकायत में कहा था कि उसकी शादी को 15 साल हो चूके है उसके पति दिमागी रूप से कमजोर है, जिसके कारण उसके ससुर व देवर पति को परेशान करने लगे थे। जिस पर वह ससुराल छोड़कर पीहर में रहने लगी। पीड़िता ने कहा कि 4 जून 2021 को उसके ससुर, पति व दो देवर उसके पीहर आये और जबरन उसको अपने साथ ले गये और कमरे में बंद करके उसके ससुर, दोनों देवर व पति ने मारपीट की। उसको शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामले में अनुसंधान करते हुए आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया।

बेदखली सूचना

मैं कि जमीला खानम W/o स्व. अशरफ खान जाति मु. आयु 60 वर्ष नि. मुकेरी मोहल्ला झालरापाटन जिला झालावाड़ (राज.) की हूं जो कि इल्फिया बयान करती हूं कि मेरा बड़ा पुत्र आशिक खान S/o स्व. अशरफ खान गलत चलन का स्वार्थी व्यक्ति है एवं उसके पिता व मेरी चल अचल सम्पत्ति में से स्वयं का हिस्सा ले चुका है। अब मेरे साथ बुरा बर्ताव करता है इसलिये मैं आशिक खान को अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति से बेदखल करती हूं। आज के बाद जो भी व्यक्ति उससे लेनदेन करता है स्वयं जिम्मेदार होगा।

बेदखली कर्ता : जमीला खान

स्थान : झालावाड़

दिनांक : 18.08.25

भवदीय

माजिद नासिर एडवोकेट

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 1326 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 18.8.25

आवास संख्या 3-सी-14 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री सुन्दर लाल गुप्ता पुत्र श्री हजारी लाल गुप्ता को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्रीमती विमला बाई पत्नी श्री हीरालाल के नाम दिनांक 22.01.2003 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्रीमती बिमला बाई पत्नी श्री हीरालाल द्वारा दिनांक 10.09.2003 को अपने पक्ष में करवाया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्रीमती बिमला बाई पत्नी श्री हीरालाल की मृत्यु दिनांक 15.10.2010 को एवं इनके पति श्री हीरालाल पुत्र श्री ओंकार लाल की मृत्यु दिनांक 23.10.2008 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों में श्रीमती उषा बाई पुत्री स्व. श्री हीरालाल पत्नी श्री छोटूलाल, श्रीमती मन्जू पुत्र स्व. श्री हीरालाल पत्नी श्री गजानन्द एवं श्रीमती गायत्री पुत्री स्व. श्री हीरालाल पत्नी श्री नरेश द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) आलेखित कर दिनांक 15.05.2025 को श्री हरिशंकर पुत्र स्व. श्री हीरालाल के पक्ष में किया गया। श्री हरिशंकर पुत्र स्व. श्री हीरालाल द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 3-सी-14 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अत: उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर श्री हरिशंकर पुत्र स्व. श्री हीरालाल के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री हरिशंकर पुत्र स्व. श्री हीरालाल के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री हरिशंकर पुत्र स्व. श्री हीरालाल के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग कोटा खण्ड कोटा

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 के अधीन नोटिस

समस्त संबंधित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 84/2024

(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

श्री निरंजन कुमार महबूबानी पुत्र लालचन्द 25 एयरपोर्ट के सामने झालावाड रोड कोटा द्वारा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (2) के अन्तर्गत प्रन्यास "सिन्धु समाज कल्याण समिति कोटा" प्लाट नं. 25 एयरपोर्ट के सामने झालावाड रोड कोटा के सम्बन्ध में पंजीयन हेतु जांच किये जाने के लिये आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिये, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60 दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निर्णित किया जायेगा तथा जांच प्रपत्र मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जायेगा।

आज दिनांक 14.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मोहर के अधीन जारी किया गया। प्रकरण में आगामी सुनवाई की दिनांक 16.10.2025 है।

सहायक आयुक्त

देवस्थान विभाग कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2025/862 **विज्ञप्ति** दिनांक:-6.8.2025

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम कुन्हाड़ी में स्थित कृषि भूमि योजना शिवम एनक्लेव खसरा नं. 122 में स्थित भूखंड संख्या 10 आवेदक/आवेदिका श्री रामनारायण प्रजापत पुत्र श्री नाथूलाल प्रजापत निवासी म.नं. 567 विनोबा भावे नगर कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। पट्टाधारी द्वारा उक्त भूखंड का बैचान जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 27.06.2025 को जर्ये मुख्तारआम श्री सत्यनारायण शर्मा पुत्र श्री गोपाल शर्मा द्वारा आवेदक के पक्ष में किया गया है।

अत: श्री रामनारायण प्रजापत पुत्र श्री नाथूलाल प्रजापत के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2025/949 **विज्ञप्ति** दिनांक:-18.8.2025

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम भदाना में स्थित कृषि भूमि योजना श्री श्याम रेजीडेन्सी खसरा नं. 722 में स्थित भूखंड संख्या 8 आवेदक/आवेदिका मधुमिता वधुरिया पुत्री श्री जगन्नाथ वधुरिया निवासी 105 गीता भवन रिद्धि सिद्धि नगर भदाना कोटा जं. कोटा द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखंड का पट्टा क्रमांक 2055 दिनांक 05.10.2023 को श्रीमोहन मीना पुत्र श्री बृजमोहन मीना के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी द्वारा उक्त भूखंड का बैचान जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 10.07.2025 को जर्ये मुख्तारआम श्री शाहिद अली पुत्र श्री सैय्यद अली द्वारा आवेदिका के पक्ष में किया गया है।

अत: मधुमिता वधुरिया पुत्री श्री जगन्नाथ वधुरिया के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-1287 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांक:-18.8.2025

नगर विकास न्यास कोटा की बालाजी नगर आवासीय योजना के भूखंड/आवास संख्या 899 का आवंटन/विक्रय/हस्तान्तरण/रजि. न्यास के पत्र दिनांक 10.06.1996 को श्री कमलेश कुमार गर्ग पुत्र श्री ब्रहम्मानंद गर्ग को किया गया था। आवंटी द्वारा उक्त भूखंड/आवास का जर्ये मुख्तारआम श्री आलोक अग्रवाल पुत्र श्री राज कुमार जी अग्रवाल द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.05.2000 को श्रीमती मंजू देवी अग्रवाल पत्नी श्री राजकुमार अग्रवाल को विक्रय कर दिया गया है। क्रेता द्वारा उक्त भूखंड/आवास का अपने नामहस्तांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 899 योजना बालाजी नगर आवासीय का नाम हस्तान्तरण श्रीमती मंजू देवी अग्रवाल पत्नी श्री राजकुमार अग्रवाल के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण कोटा

सोगरिया-गया के मध्य तीन ट्रिप पितृपक्ष साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलेगी

कोटा, (निसं)। रेल प्रशासन द्वारा अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए पितृपक्ष साप्ताहिक स्पेशल गाड़ी संख्या 09817/09818 सोगरिया-गया-सोगरिया के मध्य साप्ताहिक पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं में 03-03 ट्रिप चलाने का निर्णय लिया गया है। यह स्पेशल ट्रेन सोगरिया से प्रत्येक शनिवार 06 सितम्बर 2025 से एवं गया से प्रत्येक रविवार 07 सितम्बर 2025 से संचालित होगी। यह पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन सोगरिया-गया के बीच कोटा मंडल के बारां, सालपुरा एवं छबड़ा गुगोर स्टेशनों पर हॉल्ट लेकर गन्तव्य को जाएगी।

सोगरिया-गया-सोगरिया पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन-सीनियर डीसीए